



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
Pension Fund Regulatory and Development Authority
A Public awareness initiative on old-age income security

सेवा निवृत्ति योजना और निवेश

भारत में औपचारिक पेंशन प्रक्रियाओं के अंतर्गत देश के केवल 13 प्रतिशत वेतनभोगी कर्मचारी शामिल हैं। इसलिए, एक आरामदायक सेवानिवृत्त जीवन के लिए आपको नियमित बचत और निवेश करने की जरूरत पड़ती है।

नियमित और सुनियोजित निवेश सेवानिवृत्त योजना का अभिन्न हिस्सा होता है। यह समझना जरूरी है कि दीर्घावधि में किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसने कितनी बुद्धिमानी से और निरंतरता के साथ निवेश किया है।

सेवानिवृत्ति योजना के लिए कर्मठता, अनुशासन, त्याग, निरंतरता और धैर्य की आवश्यकता होती है।

एनपीएस—बहुमूल्य योजना और निवेश

उद्देश्य

सेवानिवृत्ति के लिए एनपीएस में निवेश का मुख्य उद्देश्य अनुशासित रूप में निरंतर बचत करना और कामकाजी जीवन के बाद के वर्षों के लिए धीरे-धीरे कोष का निर्माण करना है।

दीर्घ कालिक योजना

आपके निवेश में वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त समय देने के लिए एनपीएस का निर्माण किया गया है।

जोखिम प्रबंध

अपनी सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों के लिए बचत करते समय सामान्यतः आप अधिक जोखिम उठाना पसंद नहीं करेंगे, इसी खास सोच के साथ एनपीएस का निर्माण किया है।

प्रतिलाभ की अपेक्षा

प्रतिलाभ ही किसी निवेश की मूल प्रेरक शक्ति होती है। बेहतर प्रतिलाभ केवल लम्बी अवधि के निवेश के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है लघु अवधि के निवेश पर अनियमित आय प्राप्त होती है। लम्बी अवधि का उत्पाद होने के नाते एनपीएस—इसी सिद्धांत का अनुसरण करता है।

गहन मूल्यांकन

एनपीएस के अंतर्गत आपके हितों की रक्षा के लिए समय-समय पर निवेश की सतत् और गहन निगरानी की जाती है।



एक दिन आप एक घने वृक्ष की छाया में बैठे होंगे क्योंकि बहुत समय पहले आपने एक पौधा लगाया था!!!!



...वे 10 करोड़ से अधिक भारतीय
जिनका जन्म आज हुआ है वे
80 वर्षों से अधिक जियेंगे...

एनपीएस ही क्यों?

- कम लागत उत्पाद
- व्यक्तियों, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को कर लाभ
- बाजार आधारित आकर्षक प्रतिलाभ
- सुरक्षित, भरोसेमंद और संवहनीय
- अनुभवी पेंशन निधियों द्वारा व्यवसायिक प्रबंधन
- संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक विनियामक प्राधिकरण — पीएफआरडीए द्वारा विनियमन

एनपीएस क्या है?

एक ऐसी कुशल एवं प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली जो आज छोटी-छोटी राशि की बचत कराकर, जीवन की दूसरी पारी के लिए एक कोष का निर्माण करती है।

इसमें कौन-कौन शामिल हो सकते हैं?

यदि आप निम्न में से कोई एक या सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं :-

- भारत के नागरिक; निवासी या अनिवासी
- शामिल होने के समय आपकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो
- वेतनभोगी या स्व-रोजगार।

मैं एनपीएस खाता कहाँ खोल सकता हूँ?

पीएफआरडीए द्वारा अधिकृत किसी भी प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स—सेवा प्रदाता (पीओपी—एसपी) के पास।

एनपीएस के बारे में अधिक जानकारी और अपने निकटतम पीओपी—एसपी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप टोल फ्री नंबर

1800 110 708

अथवा

SMS NPS to 56677*

* मानक शुल्क लागू

अथवा

हमारी वेबसाइट

www.pfrda.org.in

पर संपर्क कर सकते हैं।